विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction) और एनडीआईएस अभ्यास मानक

विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction, DIDRR) विकलांग व्यक्तियों के लिए आपदाओं के जोखिम को कम करने, उनकी सुरक्षा, प्रतिरोधक्षमता और आपदा प्रबंधन के सभी चरणों में अर्थपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

DIDRR इस बात की पहचान करता है कि विकलांग व्यक्ति आपदाओं और आपात स्थितियों से असमान रूप से प्रभावित होते हैं। समावेशी दृष्टिकोण अपनाकर, DIDRR का उद्देश्य अतिसंवेदनशीलताओं को कम करना, प्रतिरोधक्षमता को बढ़ाना और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और भलाई को बढ़ावा देना है।

एनडीआईएस (NDIS) प्रदाता के तौर पर हमारे दायित्व

विकलांग लोगों के लिए आपात स्थितियों और आपदाओं से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के दायित्वों को अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय ढांचों की एक श्रृंखला में निर्धारित किया गया है। एनडीआईएस प्रदाताओं का दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी प्रथाएं इन दस्तावेजों में अंतर्निहित सिद्धांतों को दर्शाती हैं, और साथ ही आपातकालीन तथा आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआईएस अभ्यास मानक को पूरा करती हैं।

विकलांग लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का संधिपत्र

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई (Sendai) फ्रेमवर्क

2015-2030

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क

आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के लिए NDIS अभ्यास मानक

WHS के दायित्व

विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण
(Disability Inclusive Disaster Risk Reduction, DIDRR)

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के संधिपत्र में कहा गया है कि पार्टियां (सभी पक्ष) जोखिम की स्थितियों में विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगी। जोखिम की इन स्थितियों में सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियाँ और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएँ शामिल हैं (अनुच्छेद 11)।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015-2030 नए आपदा जोखिमों की रोकथाम करने और मौजूदा आपदा जोखिमों को कम करने हेतु कार्रवाई के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है।

राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण फ्रेमवर्क (National Disaster Risk Reduction Framework) सेंडाई (Sendai) फ्रेमवर्क के ऑस्ट्रेलियाई कार्यान्वयन के रूप में काम करता है। फ्रेमवर्क कार्रवाई के लिए मूलभूत कार्यनीतियाँ प्रदान करता है, और आपदा जोखिम को समझने, जवाबदेह निर्णय लेने, निवेश में वृद्धि करने और प्रभावी शासन पर ध्यान केंद्रित करता है।

विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction) खतरों की घटना को कम करने, लोगों और उनकी संपत्तियों के जोखिम और अतिसंवेदनशीलता को कम करने और उनके प्रभाव से निपटने की लोगों की क्षमता को मजबूत करने के लिए कार्यनीतियाँ और व्यवहारिकता प्रदान करता है।

आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआईएस अभ्यास मानक (The NDIS Practice Standard for Emergency and Disaster Management) आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा, समावेशन और प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने हेतु विकलांगता सेवा प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश और सर्वोत्तम व्यवहारिकता प्रदान करता है।

इसके अलावा, एनडीआईएस प्रदाताओं को श्रमिकों के लिए विधायी दायित्वों को पूरा करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल के लिए एक आपातकालीन योजना तैयार की गई है [*विनियमन 43, कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा (WHS) विनियमन (2017)*]।

DIDRR और अभ्यास मानक को लागू करना

DIDRR के प्रमुख घटक हैं:

1. जोखिम आकलन और तैयारी: विकलांग व्यक्तियों की विशिष्ट अतिसंवेदनशीलताओं और जरूरतों को पहचानना और समझना और इन्हें आपदा से जुड़ी तैयारी की योजनाओं और कार्यनीतियों में शामिल करना।
2. प्रतिक्रिया और रिकवरी (बहाली): यह सुनिश्चित करना कि आपातकालीन प्रतिक्रियाएँ समावेशी हैं और विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिनमें सुलभ रूप से निकासी करने की कार्यविधियाँ, सहायक उपकरणों का प्रावधान और रिकवरी के दौरान मनोसामाजिक सहायता शामिल है।

इन्हें एनडीआईएस आपातकालीन और आपदा प्रबंधन अभ्यास मानक के प्रमुख सिद्धांतों में दर्शाया जाता है।

1. समावेशी योजना और तैयारी: विकलांग व्यक्तियों की संपूर्ण भागीदारी और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन योजना, जोखिम आकलन और तैयारी गतिविधियों में विकलांगता समावेशी दृष्टिकोण शामिल करना।
2. सुलभ संचार और सूचना: विकलांग व्यक्तियों को ऐसे फॉर्मेट्स (प्रारूपों) और भाषाओं में सुलभ और समय पर जानकारी, चेतावनियां और निर्देश प्रदान करना जिन्हें वे समझ सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं।

3. सहयोग और समन्वय: आपातकालीन प्रतिक्रिया और रिकवरी प्रयासों में विकलांगता समावेशी प्रथाओं के समन्वय और एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए विकलांगता संगठनों, आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करना।
4. अधिकार आधारित दृष्टिकोण: आपातकालीन प्रबंधन के सभी चरणों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखना, जिनमें स्वत्व अधिकार, पसंद और गैर-भेदभाव के लिए सम्मान शामिल हैं।

विकलांगता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disability Inclusive Disaster Risk Reduction) (DIDRR) आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में विकलांग व्यक्तियों की सुरक्षा, प्रतिरोधक्षमता और संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक है।

एनडीआईएस आपातकालीन और आपदा प्रबंधन अभ्यास मानक में दर्शाए गए सिद्धांतों और प्रथाओं को लागू करके, विकलांगता सेवा प्रदाता आपात स्थितियों से पहले, इनके दौरान और इनके पश्चात विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी ढंग से सहायता कर सकते हैं, जिससे समाज में उनके अधिकारों, भलाई और समावेश को बढ़ावा मिलता है।

एनडीआईएस गुणवत्ता और सुरक्षा आयोग के अनुदान कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित